महत्वपूर्ण

संख्या–1333/60–3–15–33(सा0)/15

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला संचालन समिति, राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन उ0प्र0।
3. समस्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 दिनांकः 12 अगस्त, 2015

विषयः– राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष का संचालन एवं महिला अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकताबद्ध कार्यकमों के अंतर्गत उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष का गठन किया गया है। कोष के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 दिनांक 06.02.2015 को प्रख्यापित की गयी है। इस नियमावली के संलग्नक–1 में चिन्हित जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति, एवं निःशुल्क चिकित्सा तथा यथावश्यक शिक्षा सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक मामले में अलग–अलग क्षतिपूर्ति की धनराशि एवं समयसीमा निर्धारित की गयी है।

2. उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 के अंतर्गत वर्णित प्रकरणों में लाभार्थियों के बैंक खातों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आर्थिक क्षतिपूर्ति के भुगतान की प्रकिया से संबंधित शासनादेश संख्या–1297/60–3–15–30 (सा0)/2015 दिनांक 09.07.2015 भी निर्गत किया गया है, जिसमें नियमावली के विभिन्न प्राविधानों के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रकियाओं का कमागत रूप से विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है।

3. शासनादेश संख्या–82/60–3–15 दिनांक 16.01.2015 द्वारा महिला सशक्तिकरण मिशन के अधीन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला संचालन समिति का गठन किया गया है। प्रश्नगत नियमावली के नियम–9 में जिला संचालन समिति की भूमिका का उल्लेख किया

गया है, जिसके अंतर्गत जिला संचालन समिति के द्वारा नियमावली के अनुसार चिकित्सीय/शैक्षिक सुविधा हेतु पात्र लाभार्थियों को कोष से राहत की स्वीकृति एवं अनुश्रवण करना तथा यथाअपेक्षित राज्य अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। कोष नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराधों की पीड़िता को निर्धारित समय सीमा में आर्थिक राहत उपलब्ध करायी जानी है एवं पीड़िता को समय से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना है।

4. अतः महिला सशक्तिकरण की ओर दृढ़ कदम हेतु यह आवश्यक है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय संचालन समिति (डिस्ट्रिक्ट स्टियरिंग कमेटी) महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–82 /60–3–15–13 (5)/15 दिनांक 16.01.2015 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत पाक्षिक रूप से जनपद स्तर पर महिलाओं/बालिकाओं में हो रहे/हुये अत्याचारों की गहन समीक्षा की जाये, विशेषकर कोष नियमावली से आच्छादित प्रकरणों में, जिनमें निम्न बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से समावेश किया जायः–

(1) महिलाओं/बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं का गहनता से अनुश्रवण किया जाना।

(2) एफ.आई.आर. दर्ज होने तथा धारा–164 सी.आर.पी.सी. के तहत पीड़िता का कलमबन्द बयान एवं बयान में सम्मिलित अभियुक्तों की विवेचना तथा गिरफ्तारी का अनुश्रवण।

(3) एसिड अटैक की स्थिति में अनिवार्य रूप से 10 दिनों के अन्दर अभियुक्त/अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाना, गिरफ्तारी न हो पाने की स्थिति में धारा–82/83 एवं कुर्की की कार्यवाही समयबद्ध में की जाय।

(4) दायर वादों में ससमय चार्जशीट दाखिल किया जाना एवं न्यायिक कार्यवाही का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय। चार्ज शीट दाखिल होने में यदि विलम्ब हो रहा है तो उसके कारणों की गहन समीक्षा की जाय ।

(5) किसी भी प्रकार की लापरवाही हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय से कार्यवाही नहीं की जाती है अथवा लापरवाही बरती जाती है, तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाय।

(6) एसिड अटैक एवं लैंगिक उत्पीड़न के पीड़िताओं का मेडिकोलीगल परीक्षण चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या–1185/सेक–2–पांच–15–7(92)/15, दिनांक 06 मई, 2015 द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्रों पर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इन प्रपत्रों पर ही परीक्षणोपरान्त रिपोर्टिंग सुनिश्चित किया जाय।

5. मण्डलायुक्तों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि उनकी मासिक बैठकों में उपरोक्त बिन्दुओं पर अनिवार्य समीक्षा की जाय ।

6. कार्यालय ज्ञाप संख्या–21/60–3–15–13(11)/14 दिनांक 07 जनवरी, 2015 द्वारा राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में महिलाओं/बालिकाओं पर हो रहे/हुये अपराधों की गहन समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जायेगा। प्रमुख सचिव महिला कल्याण विभाग द्वारा राज्य अनुश्रवण समिति की बैठकें नियमित अन्तराल में आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं इन बैठकों में प्रमुख सचिव, गृह विभाग उपरोक्त प्रस्तर–4 में उलिलखित बिन्दुओं पर जनपदों से सूचना प्राप्त कर के, उन पर प्रस्तुतिकरण समिति के समक्ष किया जायेगा ।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या– 1333 (1)/60–3–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4. प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
6. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य/ महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा ।
7. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
8. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी उ.प्र.
9. कोष कार्यालय, 413, चतुर्थ–तल, योजना भवन, लखनऊ।
10. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय महिला कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।